मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013 (फाल्गुन 22, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

1. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री राकेश सिंह, लोक सभा सदस्य, जबलपुर का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर, सदन की ओर से स्वागत सम्बन्धी उल्लेख किया गया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य द्वारा ''प्रदेश में लागू वेट कर'' सम्बन्धी प्रश्न संख्या 12 (क्र. 4302) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 79 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 94 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -
(1) श्री रामनिवास रावत,सदस्य की श्योपुर जिले के विकासखण्ड कराहल के ग्राम पातालगढ़ में विद्यालयों के नियमित न खुलने,
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की भोपाल शहर की गुलमोहर कालोनी स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त होने,
(3) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की बिछिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजनिया ब्रम्हनी मार्ग की जर्जर हालत होने,
(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की प्रदेश में फल एवं सब्जियों की पैदावार बढ़ाने रासायनिक व नकली दवाओं का उपयोग होने,
(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश में मछुआ समितियों के चुनाव न कराये जाने,
(6) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य की संचालनालय भवनों (सतपुड़ा एवं विन्ध्यांचल) की विद्युत व्यवस्था के प्रभार में अनियमितता होने,
(7) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम रायपुर से गेहूंखेड़ी तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न होने,
(8) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल के सेन्ट्रल लायब्रेरी मैदान पर फिल्म शूटिंग में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किये जाने,
(9) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर में तालाबों का निर्माण न होने तथा
(10) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की विक्रम विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री न मिलने,
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) मर्यादित का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 पटल पर रखे।

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार -

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री अजय सिंह (नेता प्रतिपक्ष) एवं नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण ने जिला सहकारी बैंक, भिण्ड के प्रबंधक द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य ने बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मार्ग का डामरीकरण न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने धार जिले की माही परियोजना अन्तर्गत ग्राम कालीकराई व नाहरखोदरा के डूब प्रभावितों को राहत राशि न दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री मनीराम धाकड़, पारस सकलेचा एवं रामलखन सिंह, सदस्यगण ने मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा नियुक्ति में आरक्षण का पालन न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(2) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-पश्चिम निमाड़, खरगौन)
(3) श्री भगवान सिंह राजपूत (जिला-रायसेन)
(4) श्रीमती गीता उइके (जिला-बैतूल)
(5) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)

7. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 4, 5, 6 7, 8 एवं 12 मार्च, 2013 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(16) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 6	वित्त के लिए सात हजार छब्बीस करोड़, इकतालीस लाख, नब्बे हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 7	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार दो सौ बावन करोड़, पांच लाख, इकतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए दो सौ अड़तीस करोड़, तिहत्तर लाख, चौहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए दो सौ बत्तीस करोड़, सत्रह लाख, बाईस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 61	बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए दो सौ करोड़, अठ्ठाईस हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, वित्त विभाग की मांगों को छोड़कर, शेष मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता

श्री राघवजी ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. ऊर्जा मंत्री का बिना मीटर स्थाई पंप कनेक्शन हेतु, फ्लेट रेट पर विद्युत प्रदाय संबंधी वक्तव्य

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने किसान महापंचायत दिनांक 3 फरवरी, 2013 में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में बिना मीटर स्थाई पंप कनेक्शन हेतु फ्लेट रेट पर विद्युत प्रदाय के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया।

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।

9. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(17) श्री अजय विश्नोई, अल्प संख्यक कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 63	अल्प संख्यक कल्याण के लिए पैंसठ करोड़, चार लाख, सत्तानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए छः सौ चौरासी करोड़, चंवालीस लाख, दो हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए बयालीस करोड़, इकतीस लाख, तिरानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) श्री रामखेलावन पटेल
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(5) श्री ध्रुवनारायण सिंह
(6) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(7) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(8) श्री रामनिवास रावत

श्री अजय विश्नोई ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(18) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक हजार तिरसठ करोड़, छियालीस लाख, चौबीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 30	ग्रामीण विकास के लिए एक हजार दो सौ तिरसठ करोड़, पैंतीस लाख, चौदह हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 34	सामाजिक न्याय के लिए दो सौ उन्नीस करोड़, इकतालीस लाख, तिरासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक हजार आठ सौ तेरह करोड़, एक लाख, बानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए इक्यानवे करोड़, सत्तर लाख रूपये,
अनुदान संख्या – 62	पंचायत के लिए एक सौ पचास करोड़, नौ लाख, चौवन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए छह हजार, सात सौ आठ करोड़, छह लाख, छप्पन हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजवर्धन सिंह
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(4) श्री मनीराम धाकड़
(5) श्री मानवेन्द्र सिंह
(6) श्री रमेश भटेरे
(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(8) श्री बाबूलाल वर्मा
(9) श्री जेवियर मेड़ा
(10) श्रीमती सुलोचना रावत
(11) श्री राधेश्याम पाटीदार
(12) श्री रामलाल मालवीय
(13) श्री हेमराज कल्पोनी
(14) श्री के.पी. सिंह
(15) श्री भगत सिंह नेताम
(16) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

श्री गोपाल भार्गव ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(19) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 26	संस्कृति के लिए एक सौ बत्तीस करोड़, उन्नीस लाख, चौबीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 32	जनसंपर्क के लिए एक सौ अस्सी करोड़, नवासी लाख, तिरानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 44	उच्च शिक्षा के लिए एक हजार एक सौ आठ करोड़, सत्ताईस लाख, अठारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए तीन सौ सतानवे करोड़, उनासी लाख, पचासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए सतासी करोड़, दस लाख, बावन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बारह करोड़, पचपन लाख रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(6) डॉ. गोविन्द सिंह
(7) श्री रामलल्लू वैश्य
(8) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(9) राव देशराज सिंह यादव
(10) श्री श्रीकांत दुबे

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2013 (फाल्गुन 23, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 13 मार्च, 2013